बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

विषय :— राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं/संवर्गों में प्रोन्नति के लिए कोटि–वेतन (Grade-Pay) आधारित निर्धारित कालावधि का संशोधन ।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में भारत सरकार के अधीन कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या–ए0बी0–14017/61/2008–ईस्ट–(आर0आर0) दिनांक–24.03.2009 द्वारा कोटि–वेतन (Grade-Pay) के आधार पर कालावधि पुनर्निधारित की जा चुकी है। चूँकि राज्यधीन संवाओं में भी कोटि–वेतन (Grade-Pay) आधारित वेतन पुनरीक्षण किया जा चुका है, अतः तत्आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–1800 दिनांक–09.06.2011 द्वारा कोटि–वेतन (Grade-Pay) आधारित कालावधि का पुनर्निधारण किया जा चुका है।

(2) विवेचित कालावधि निर्धारण में कोटि–वेतन 1800 से 1900 तक से लेकर 8900 से 10,000 तक के लिए कुल 24 (चौबीस) ग्रेड–पे में प्रोन्नति हेतु अलग–अलग कालावधि का निर्धारण किया गया है, परन्तु 2400 से 4600 ग्रेड–पे में प्रोन्नति हेतु कालावधि का निर्धारण नहीं किया जा सका है। विदित हो कि वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक–630 दिनांक–21.01.2010 द्वारा सहायक एवं निजी सहायक को PB-2 में 4600 ग्रेड–पे निर्धारित किया गया है, तत् आलोक में 2400 से 4600 ग्रेड–पे में प्रोन्नति हेतु कालावधि का निर्धारण आवश्यक हो गया है। इसके अतिरिक्त PB 2 + 5400/–से PB 3 + 5400/–हेतु भी कालावधि का निर्धारण आवश्यक है।

(3) अतः सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के कालावधि निर्धारण संबंधी संकल्प संख्या–1800 दिनांक–09.06.2011 की कंडिका–3 (i) में निम्नांकित समावेशन किया जाय :—

क्रमांक	कोटिवेतन (Grade-Pay)		न्यनतम अर्हक सेवा (कालावधि)
	से	तक	
25	2400	4600	10 वर्ष
26	PB 2 + 5400	PB 3 + 5400	04 वर्ष

संकल्प सं0–1800 दिनांक–09.06.2011 की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(वीरेन्द्र प्रसाद यादव)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/वि04–काला0नि0/छूट–03/2001 सा0प्र0 11250 पटना–15, दिनांक– 6.11.13

प्रतिलिपि :— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इनकी 1000 (एक हजार) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशाखा–11) को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

FILE PATH: D/ASHOK SIR/LETTER.DOCX

ज्ञापांक–11/वि04–काला0नि0/छूट–03/2001 सा0प्र0 17250 पटना–15, दिनांक–6.11.13

प्रतिलिपि :– सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्य मंत्री सचिवालय/राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव कर्मचारी चयन आयोग, पटना/परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना/केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, पटना/लोकायुक्त के कार्यालय, बिहार, पटना/निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना/बिहार विधान सभा, पटना/बिहार विधान परिषद्, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

FILE PATH: D/ASHOK SIR/LETTER.DOCX